न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/03/2011	2011/00012	06–04–2011	24–03–2021

01– ईसर पुत्र हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम मूनपुर करमला तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0। –प्रार्थी

बनाम

01– भू–आवंटन सलाहकार समिति जर्ये अध्यक्ष उप जिलाधीश अलवर राज0।
02– रतनलाल पुत्र बिशना जाति चमार
03– शिवलाल पुत्र बिशन जाति चमार
04– राजोबाई बेवाह हीरालाल पुत्रवधु बिशना जाति चमार
05– नरेश पुत्र हीरालाल पौत्र बिशना जाति चमार नाबालिग
06– ओमता पुत्री हीरालाल पौत्री बिशना जाति चमार नाबालिग जर्ये वाद मित्र एवं सरपरस्त माता स्वंय राजोबाई बेवाह हीरालाल जाति चमार निवासीयान नौगावां तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0। –अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) विरूद्ध आदेश दिनांक 29.03.1973 उप जिलाधीश अलवर

उपस्थितः–
01–श्री दैवेन्द्र कुमार जैन – वकील प्रार्थी

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह प्रा.पत्र के आदेश दिनांक 29.03.1973 जिसके आराजी खसरा नम्बर 977 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 979 मिन रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुर करमला तह0 रामगढ़ को बेजा तौर पर बिशना पुत्र लक्ष्मण चमार निवासी नौगावां को आवंटित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर द्वारा दिनांक 29.03.1973 को न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध आवंटन किया गया है। विवादित आराजी बन्दोबस्त् संवत् 2058 साबिक खसरा नम्बर 977 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल नं0 1694 रकबा 0.89 है0, साबिक 979 मिन रकबा 10 बिस्वा जिसके हाल नं0 1701 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम मूनपुर करमला तह0 रामगढ़ में स्थित है। भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर ने ग्राम मूनपुर–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

करमला के आराजी का आवंटन जिस ग्राम में आराजी है उस ग्राम के हैडक्वार्टर पर आवंटन नहीं किया गया है। तहसील कार्यालय में बैठकर आवंटन किया गया है। बिशना पुत्र लक्ष्मण जाति चमार ग्राम नौगावां का रहने वाला है। ग्राम मूनपुर करमला का निवासी नहीं है तथा कभी भी विवादित आराजी पर काबिज नहीं रहा और ना ही उसको कब्जा दिया गया। विवादित आराजी का इंतकाल भी मृतक बिशना के नाम कानून के खिलाफ खोला गया है। मृतक व्यक्ति को कोई काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। बिशना को विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं दिया गया है। बिशना का देहांत हो चुका है। बिशना की मृत्यु हुए करीबन 32 साल हो चुके है। इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। विवादित आराजी काबिल आवंटन नहीं थी। मृतक बिशना ने अप्रार्थी स0 1 से मिलकर गलत तरीके से आवंटन कराया है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की ऑक्यूपाईड लैण्ड है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा गत 50 साल से चला आ रहा है। आज दिनांक तक प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया गया है। वक्त आवंटन भी विवादित आराजी प्रार्थी के कब्जे में थी। अप्रार्थीगण विवादित आराजी से गैर काबिज रहे है। इसलिए आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी भू–आवंटन कमेटी अलवर के आदेश दिनांक 29.03.1973 बाबत् साबिक खसरा नम्बर 977 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल नं0 1694 रकबा 0.89 है0, साबिक 979 मिन रकबा 10 बिस्वा जिसके हाल नं0 1701 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम मूनपुर करमला तह0 रामगढ जिला अलवर बिशना पुत्र लक्ष्मण जाति चमार निवासी नौगावां तहसील रामगढ़ निरस्त फरमाया जावें। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र के समर्थन में एआईआर 2018 एनओसी 53 राज., 2014 आरआरडी 727, 2015 1 आरआरटी 646 व 2005 आरआरडी 2021 पेश की है।

वकील अप्रार्थी सं 2 लगा0 6 उपस्थित नहीं हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड प्रोसिडिंग रजिस्टर की छायाप्रति में क्रम सं0 2 पर अंकित बिशना पुत्र लक्ष्मण के सामने अंकित आराजी खसरा नम्बर 971 रकबा 04 बीघा को काटकर खसरा नम्बर 977 व 979 अंकित किया है। उक्त कटिंग पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में संलग्न एफआर नं0 174/10 मुकदमा नं0 518/10 थाना रामगढ़ द्वारा लिखा गया है कि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कर मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर में अप्रार्थी द्वारा पता मूनपुर करमला लिखा गया, जबकि अप्रार्थी के राशन कार्ड व पहचान पत्र में निवास स्थान नौगावां दर्ज है। एफआईआर में लिये गये बयान दिनांक 30.11.2010 में अप्रार्थी सं0 2 द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी पर हमारा कभी कब्जा नहीं रहा है तथा उक्त जमीन पर कभी भी काबिज रहकर फसल नहीं बोई है। बयान दिनांक 03.12.2010 अप्रार्थी सं0 —

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

4 द्वारा भी निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी हमारी खातेदारी में दर्ज नहीं हुई है। बयान दिनांक 03.12.2010 में अप्रार्थी सं0 3 की पत्नी ने भी विवादित आराजी खातेदारी में नहीं होने बाबत तथा काबिज रहकर खेतीबाडी नहीं करना जाहिर किया है। वकील प्रार्थी द्वारा पेश नजिर 2015 (1) आरआरटी 646 जिसमें लिखा है कि "अप्रार्थी भूमि पर काबिज होना साबित करने में असफल रहा है। भूमि काश्त का कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटन नियमों की पालना नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया।" पूर्णतः चस्पा होती है। वकील प्रार्थी द्वारा पेश नजिर एआईआर 2018 (एनओसी) 53 राज. जिसमें लिखा है कि "अप्रार्थी वर्तमान रेकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज है आवंटन के 10 साल बाद खातेदारी दी जानी चाहिए चूंकि आवंटी ने लगातार 10 साल तक आवंटित आराजी पर काश्त नहीं की है। आवंटन निरस्त किया।" पूर्णतः चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर भू–आवंटन कमेटी अलवर के आदेश दिनांक 29.03.1973 बाबत आवंटन आराजी साबिक खसरा नम्बर 977 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा 'सिवायचक' जिसके हाल खसरा नम्बर 1694 रकबा 0.89 है0, साबिक खसरा नम्बर 979 मिन रकबा 10 बिस्वा 'सिवायचक' जिसके हाल खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम मूनपुर करमला तहसील रामगढ़ जिला अलवर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ़ को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

24/03/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)